उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-11/2022/आई/129531/ 41-1002(001)/189/2021-274(बजट)/2021
लखनऊ:: दिनांक 05 जनवरी, 2022

शुद्धि-पत्र

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया में स्थित ग्राम-थानाखास में महादेव मंदिर, वि0ख0-परशुरामपुर के ग्राम-जितीपुर में बजरंगबली/हनुमान मंदिर एवं वि0ख0-दुबौलिया के ग्राम-रानीपुर लाद में काली मंदिर एवं तालाब का पर्यटन विकास हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-05/2022/आई/128883/41-1002(001)/189/2021-274(बजट)/2021, दिनांक 04 जनवरी, 2022 के पृष्ठांकन सं0-06 में अंकित मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 04 जनवरी, 2022 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण **(UPNEDA)**, लखनऊ, उ0 प्र0।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7. जिलाधिकारी, बस्ती।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बस्ती।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, बस्ती मण्डल, सिद्धार्थनगर।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in